



2026:AHC-LKO:16738-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 2404 सन 2026

संजय कुमार वर्मा एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

निर्धारित प्राधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ
एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अमर नाथ दुबे, अंकित दुबे, स्वाति शर्मा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : रत्नेश चंद्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. चुनौती दिए गए आदेश अपील योग्य हैं। अपील करने के बजाय, रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का यह तर्क नहीं है कि उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। यदि प्रतिक्रिया आदि पर विचार नहीं किया गया है, तो ये मामले अपील में देखे जाएंगे।
3. तदनुसार, अपील करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निस्तारण किया जाता है।
4. यदि अपील अंतरिम राहत के आवेदन के साथ समय पर दायर की जाती है, तो अंतरिम राहत आवेदन पर यथाशीघ्र, यानी दायर किए जाने के दस दिनों के भीतर विचार किया जाएगा।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

फ़रवरी 27, 2026

शानू/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।